बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांकः स्था02/02-09/2016 ......30...... पटना, दिनांक......01-03-17......

प्रेषक,

पुनम (भा०प्र०से)

निदेशक।

सेवा में,

उप निदेशक (आहरण एवं व्ययन),

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी,

पटना, बेगूसराय, कैमूर (भभुआ), भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी, सिवान एवं वैशाली।

विषयः- केन्द्रीय योजनागत योजना ''लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तियुक्तकरण योजना'' शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष वर्ष 2016-17 में स्वीकृत्यादेश संख्या-2453 दिनांक 08.12.2016 के आलोक में 1,16,26,346 /- (एक करोड़ सोलह लाख छब्बीस हजार तीन सौ छियालिस) रुपये मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग बिहार सरकार के पत्रांक-ब०-15/BSG-279/2016.1211 दिनांक 15.12.2016 द्वारा सूचित किया गया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2016-17 की द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी से संबंधित बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2016 पर महामहिम राज्यपाल ने दिनांक 13.12.2016 को स्वीकृति प्रदान की है एवं द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण में उपबंधित राशि 31 मार्च 2017 तक की अवधि में व्यय करने की अनुमति प्रदान की गई है।

2. अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय बिहार, पटना के पत्रांक-2453 दिनांक 08.12.2016 द्वारा केन्द्रीय योजनागत योजना पंचम लघु सिंचाई गणना संदर्भ वर्ष 2013-14 के सम्पादन हेतु 47569558/-(चार करोड़ पचहत्तर लाख उन्हत्तर हजार पाँच सौ अन्ठावन) रुपये के अनुमानित व्यय पर योजना की स्वीकृति प्राप्त है। जिसके आलोक में निदेशालय के आवंटन आदेश संख्या-22 दिनांक 09.01.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु उपलब्ध राशि 5804243/-(अट्ठावन लाख चार हजार दो सौ तैतालीस) रूपये का आवंटन आदेश निर्गत किया जा चुका है।

3. भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरूद्धार मंत्रालय के लधु सिंचाई (सांख्यिकी) प्रभाग के पत्रांक-V-57/5/2014 MI(Stat)/161 दिनांक-27.02.2017 द्वारा केन्द्रीय योजनागत योजना लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तियुक्तकरण योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रथम किस्त के रूप में 1,16,26,346 /- (एक करोड़ सोलह लाख छब्बीस हजार तीन सौ छियालिस) रुपये व्यय हेतु विमुक्त की गई है।

4. कंडिका-02 एवं 03 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपलब्ध राशि से संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है।

5. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष 205- राज्य सांख्यिकी एजेंसी, उप शीर्ष- 0405-लधु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तियुक्तकरण योजना शीर्ष के अंतर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग स0-35 एवं विपत्र कोड-S/3454022050405 है।

6. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 एवं 2 से 26 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी क्रमशः उप निदेशक (आहरण एवं व्ययन) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना तथा संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे ।

7. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विपत्र पर संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करेंगे । साथ ही इस आशय का प्रमाण-पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है ।

8. प्रत्येक परिस्थिति में मद्वार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय । इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी ।

9. व्यय का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रुप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होगें।

10. आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.98 एवं पत्रांक 2793 दिनांक 04.04.2016 एवं 4572 दिनांक 03.06.2016 में उल्लेखित निदेश के साथ-साथ, समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा ।

11. स्वीककृत्यादेश/राज्यादेश संख्या-2453 दिनांक 08.12.2016 के आलोक में वित्तीय वर्ष-2016-17 में आवंटित राशि का नियमानुसार पंचम लघु सिंचाई गणना 2013 से संबंधित कार्य हेतु आहरण एवं व्यय किया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह०/- 1/3/17

निदेशक

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

बजट सहायक | प्रशाखा पदा० | सहा० निदेशक | व०संयुक्त निदेशक

ज्ञापांक ......30....................../पटना, दिनांक 01-03-17

प्रतिलिपिः 1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

1/3/17

निदेशक

ज्ञापांक ....30..................../पटना, दिनांक 01-03-17..................

प्रतिलिपिः 2. संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/3/17

निदेशक

ज्ञापांक ....30........................../पटना, दिनांक 01-03-17

प्रतिलिपिः 1. योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)

2. उप निदेशक, लघु सिंचाई/योजना एवं अन्य सभी उप निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना

3. कार्यालय लेखापाल (दो प्रतियों में)/श्री शशि रंजन प्रसाद वर्मा, कार्यालय परिचारी (गार्ड फाईल) में चिपकाने हेतु एवं निर्गत प्रशाखा को निर्गत करने एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

4. श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, कनीय सांख्यिकी सहायक, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है किइस आवंटन आदेश को सभी संबंधितों के ई-मेल पर प्रेषित करते हुए निदेशालय के वेवसाइट पर अपलोड करना/कराना सुनिश्चित करें।

1/3/17

निदेशक